

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), ब्यावर

क्रमांक / आपदा प्रबंधन / 2025 /

दिनांक-

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 8(44) आ0प्र0सहा0 / बाढ / प्रस्ताव / 2025 / राजकाज रेफरेंस नंबर 18319212 दिनांक 14.10.2025 के अनुसरण में मानसून वर्ष 2025 में अतिवृष्टि / बाढ से क्षतिग्रस्त आंगनबाडी भवनों की अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) से निम्नानुसार प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	क्र.सं.	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	लोकेशन (जिसमें आंगनबाडी संलग्न है)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्यकारी संस्था जिन्हे कार्य किया जाना है
1	मसूदा	1	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, दरवाजे, शौचालय	आंगनबाडी केन्द्र अन्धेरी देवरी-02	2.5	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (समसा) ब्यावर
		2	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, दरवाजे, शौचालय	आंगनबाडी केन्द्र मसूदा-08	2.5	
		3	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, दरवाजे, शौचालय	आंगनबाडी केन्द्र लालावास	2.5	
		4	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, दरवाजे, शौचालय	आंगनबाडी केन्द्र शिवपुरी		
		5	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, दरवाजे, शौचालय			

Signature valid

आंगनबाडी केन्द्र हनुतिया-03
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.17 09:42:43 IST
Reason: Approved

6	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, दरवाजे, शौचालय	आंगनबाडी केन्द्र बेगलियावास-02	2.5
7	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, दरवाजे, शौचालय	आंगनबाडी केन्द्र कालाहेडी	2.5
8	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, दरवाजे, शौचालय	आंगनबाडी केन्द्र लोडियाना-01	2.5
9	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, दरवाजे, शौचालय	देवपुरा (शिखरानी)	2.5
10	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, दरवाजे, शौचालय	आंगनबाडी केन्द्र रतनपुरा	2.5
योग			25.00

राशि शब्देन-पच्चीस लाख रुपये मात्र

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जावेगा :-

1. कार्य तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद शुरू किया जावेगा ।
2. मरम्मत कार्य आपदा प्रबंधन,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी मापदण्डों एवं गाइड-लाईन के अनुसार कराया जावेगा।
3. उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति तत्काल **3 दिवस** में भिजवाया जाना आवश्यक है। जिससे वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके ।
4. कार्य एस.डी.आर.एफ नॉर्म्स के अनुसार किया जायेगा। अतः कार्यकाल सस्था स्वीकृत रकम से अधिक उपयोग न करें।
5. Defect Liability Period के तहत जो कार्य आतें है , उनकी जिम्मेदारता तत्काल **3 दिवस** में भिजवाया जाना आवश्यक है। जिससे वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके ।
- 6-उक्त स्वीकृत कार्य एक माह की अवधि में कराये जाकर पूर्णता प्राप्त होनी चाहिए। अतः कार्यकाल सस्था स्वीकृत रकम से अधिक उपयोग न करें।

Signature valid

Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation: Collector & District

Magistrate
Date: 2025.10.17 09:42:43 IST
Reason: Approved

- 7- कार्यकारी ऐजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- 8-आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करावें तथा शेष राशि विभाग को तत्काल समर्पित की जावे।
- 09-कार्यों की प्रशासनिक , तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां उपरांत ही राशि का नियमानुसार व्यय किया जावे।
- 10-केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरुत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एस0डी0आर0एफ0 नोर्म्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हों।
- 11-स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम -2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देशों , तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 12-बैंक खाते में हस्तांतरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावेगा ।
- 13-उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।
- 14-विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु किया जावे।
- 15-निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही किया जावे। बैंक खाते में हस्तांतरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावे।
- 16-निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे । अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावे।
- 17-व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावे।
- सलग्न:- आपदा प्रबंधन,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.8 (44) आ.प्र. एवं सहा./बाढ./प्रस्ताव/2025/राजकाज/18319212 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में प्रदत्त समस्त निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावे।

Signature valid (कमल राम मीना)

Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.17 09:42:43 IST
Reason: Approved

कमांक / आपदा प्रबंधन / 2025 /

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् अति० मुख्य सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज० जयपुर ।
2. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिला परिषद ब्यावर।
4. अति०जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी सहायता ब्यावर।
5. उपखण्डाधिकारी मसूदा

उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग ब्यावर को भेजकर लेख है कि आप जिले में बाढ से क्षतिग्रस्त आंगनबाडी भवनों क कार्यों की पत्र में अंकित निर्देशानुसार कार्यकारी ऐंजेसी जिला परियोजना समन्वयक (समसा)ब्यावर से समन्वय किया जाकर नियमानुसार मरम्मत की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे।

7. तहसीलदार मसूदा / बिजयनगर
8. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कले० ब्यावर / कोषाधिकारी ब्यावर।
9. अतिरिक्त परियोजना समन्वयक (स.म.सा.) जिला ब्यावर (कार्यकारी ऐंजेसी)
10. सीडीपीओ मसूदा
11. विकास अधिकारी प.स. मसूदा
12. सूचना एवं जनसमर्पक अधिकारी ब्यावर।
13. आदेश रक्षित

(कमल राम मीना)
जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
Signature valid
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.17 09:42:43 IST
Reason: Approved

Signature valid

Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.17 09:42:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18407374

Signature valid

Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.17 09:42:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18407374